तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/5439/2000/टोंक सरकार बनाम भंवरलाल वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य

उपस्थित–

श्री ओ.पी.भट्ट, उपराजकीय अधिवक्ता प्रार्थी
विपक्षी बावजूद सूचना अनुपस्थित, अतः एकतरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांकः– 03–02–2020

यह रेफरेन्स जिला कलक्टर टोंक ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 20–09–2000 के द्वारा राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार उनियारा ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भूमिधारक इन्द्रसाल सिंह पुत्र उडीसाल सिंह जाति राजपूत निवासी आमली की खातेदारी की भूमि कुल किता 329 रकबा 794 बीघा 17 बिस्वा सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी टोंक के आदेश दिनांक 16–01–1970 के द्वारा अधिग्रहित की गई थी। यह भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 13 दिनांक 06–04–1972 के द्वारा राज्यहित में राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज की गई थी, किन्तु अधिग्रहित भूमि में से खसरा संख्या 10 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 10/2 रकबा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 27 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 46 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 365 दिनांक 7 बिस्वा तत्कालीन तहसीलदार उनियारा द्वारा काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 व 19 के अन्तर्गत भंवरलाल वगैरहा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/5439/2000/टोंक सरकार बनाम भंवरलाल वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पुत्र कालू वगैरहा निवासी आमली की खातेदारी अधिकार प्रदान करने बाद यह भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 21 दिनांक 06-04-1972 के द्वारा भंवरलाल वगैरहा पुत्र कालू वगैरहा की खातेदारी में दर्ज हो गई तथा जमाबंदी सम्वत 2052-2055 के खाता संख्या 51 व 64 के अनुसार विरासत से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 12 की खातेदारी में दर्ज है, जिसके हाल खसरा संख्या 36 रकबा 0-52 हैक्टर, 65 रकबा 0-38 हैक्टर तथा 417 रकबा 1- बीघा 10 बिस्वा है। यह भूमि सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहित की गई थी, ऐसी स्थिति में इस भूमि का निस्तारण भी सीलिंग अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बनेक नियमों के अन्तर्गत ही निस्तारण होना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत रेफरेंस स्वीकार कर राजस्व अभिलेख में विवादित भूमि को गैरमुमकिन नला के रूप में दर्ज करने हेतु यह रेफरेन्स मण्डल को प्रेषित किया है।

हमने राज्य पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी।

विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि पूर्व में विवादग्रस्त आराजी राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज है। कालान्तर में उक्त भूमि को नियमों के विपरीत अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज कर दी गई, जबकि विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसी भूमियों के बाबत किसी को भी खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते। अन्त में उन्होंने विवादित आराजी को पुनः राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज करने का निवेदन किया।

हमने राज्य पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि भूमिधारक इन्द्रसाल सिंह पुत्र उडीसाल सिंह जाति राजपूत निवासी आमली की खातेदारी की भूमि कुल किता

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/5439/2000/टोंक सरकार बनाम भंवरलाल वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	329 रकबा 794 बीघा 17 बिस्वा सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी टोंक के आदेश दिनांक 16-01-1970 के द्वारा अधिग्रहित की गई थी। यह भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 13 दिनांक 06-04-1972 के द्वारा राज्यहित में राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज की गई थी, किन्तु अधिग्रहित भूमि में से खसरा संख्या 10 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 10/2 रकबा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 27 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 46 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 365 दिनांक 7 बिस्वा तत्कालीन तहसीलदार उनियारा द्वारा काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 व 19 के अन्तर्गत भंवरलाल वगैरहा पुत्र कालू वगैरहा निवासी आमली की खातेदारी अधिकार प्रदान करने बाद यह भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 21 दिनांक 06-04-1972 के द्वारा भंवरलाल वगैरहा पुत्र कालू वगैरहा की खातेदारी में दर्ज हो गई तथा जमाबंदी सम्वत 2052-2055 के खाता संख्या 51 व 64 के अनुसार विरासत से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 12 की खातेदारी में दर्ज है, जिसके हाल खसरा संख्या 36 रकबा 0-52 हैक्टर, 65 रकबा 0-38 हैक्टर तथा 417 रकबा 1- बीघा 10 बिस्वा है। यह भूमि सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहित की गई थी, ऐसी स्थिति में इस भूमि का निस्तारण भी सीलिंग अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बनेक नियमों के अन्तर्गत ही निस्तारण होना चाहिए था। यहां यह उल्लेखनीय है कि राजस्व रेकार्ड में दर्ज सिवायचक भूमि बाबत खातेदारी अधिकार किए जाना प्रतिबंधित है। उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। इसके साथ ही प्रश्नगत रकबे के संबंध में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 21 दिनांक 06-04-1972 को निरस्त किया जाता है। प्रश्नगत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/5439/2000/टोंक सरकार बनाम भंवरलाल वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रकबे को पुनः राजस्व रेकार्ड में सिवायचक भूमि के रूप में दर्ज किए जाने का आज्ञा पारित की जाती है। निर्णय की सूचना योग्य राजकीय अधिवक्ता को दी जावे। निर्णय की प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद इन्द्राज नियमानुसार अभिलेखागार में भिजवाई जावे। **(प्रवीण गुप्ता)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/5439/2000/टोंक सरकार बनाम भंवरलाल वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए